

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(9)नविवि / 2020

जयपुर, दिनांक: 27 DEC 2022

आदेश

मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2020 में City Gas Distribution Station/District regulating station/Metering and regulating station के प्रावधानों को सैटबैक में अनुज्ञेय किए जाने एवं भू-आच्छादन व बी.ए.आर. से मुक्त रखे जाने हेतु उक्त प्रावधान को विनियम 10.8(ख)(i) में सम्मिलित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“10.8 भू-आच्छादन (Ground Coverage):-

(ख) आच्छादित क्षेत्र की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जायेगा:-

1. यदि आच्छादित नहीं हो तो उद्यान, रॉकरी, कुआ और कुएं की संरचना, खुला वाटरपूल एवं स्विमिंग पूल एवं उनकी संरचनाएं जो की सड़क की सतह से 21 मी. से अधिक ऊंचाई की नहीं हो, आग से बचाव हेतु जीना, वृक्ष का गट्टा (प्लेटफार्म), टैंक, फव्वारा, बैंच, ऊपर से खुला हुआ चबूतरा एवं इनके समरूप संरचना, कम्पाउण्ड वाल, गेट, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको स्लाईड, स्विंग, छज्जा, खुला रेम्प, दूरसंचार टावर, खुले में प्रस्तावित भवन की सर्विसेज यथा ट्रान्सफार्मर, ईलेक्ट्रिक पैनल, City Gas Distribution Station/District regulating station/Metering and regulating station आदि।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त/राजस्थान आवसन मण्डल।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


22/12/22

उप नगर नियोजक